न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली)

मु.न. 145 / 2017

उनवान

1. रामकरण पुत्र श्री बोदू, जाति मीणा, निवासी ग्राम, डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. नानू पुत्र भैरया
2. सरबती देवी पत्नी पांचूराम
3. नारायणी देवी पत्नी गोपाल
4. हनुमान पुत्र गोपाल
5. नाथू पुत्र गोपाल
6. भंवर लाल पुत्र सेडू
7. नान्छी पत्नी बोदू
8. भोली देवी पुत्री बोदू
9. लाली देवी पुत्री बोदू
10. बिरदी देवी पुत्री बोदू
11. सुनीता देवी पुत्री बोदू
12. भंवरी देवी पुत्री बोदू
13. प्रभूदयाल पुत्र बोदू
14. शंकर लाल पुत्र बोदू
15. चेताराम पुत्र बोदू
16. कैलाश पुत्र बोदू
17. सोनी देवी पुत्री लादू
18. सन्तोष दत्तक पुत्र महादेव
19. रामेश्वर पुत्र छोटू
20. मनफुली देवी पुत्री छोटू
21. लालचन्द उर्फ लाला पुत्र रामपाल
22. जगदीश पुत्र रामपाल
23. हेमराज पुत्र रामपाल
24. राहुल पुत्र रामपाल जरिये संरक्षिका माता कैलाशी देवी पत्नी श्री रामपाल, जाति मीणा
25. मनफूली देवी पत्नि रामपाल
26. कैलाशी देवी पुत्री रामपाल
27. बाबूलाल दत्तक पुत्र रामकुंवार

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
29. उपपंजियक चौमूं, उपपंजियक कार्यालय चौमूं तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक :– 10.05.2017

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाटावाली में पेश हुई। वादी ने अपना वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम डेहरा, पटवार हल्का जाटावाली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर राजस्थान में खाता संख्या 207 के आराजी ख0न0 171/1122, 172/1123, 174/1124, 401/1154, 402/1155, 425/1160, 427/1161, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 505/1171, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523 कुल किता 59 का कुल रकबा 20.17 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/4 भाग में 1/12 भाग की अर्थात 1/48 भाग की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। शेष हिस्सा मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण का निहित है उक्त आराजीयात ही उक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त है जिसे वाद पत्र में विवादग्रस्त आराजीयात से सम्बोधित किया गया हैं।

विवादग्रस्त भूमि ग्राम डेहरा की मुख्य सडक पर स्थित है जिसमें आसपास काफी संख्या में प्लाटिंग हो चुकी है तथा वादी द्वारा हमेशा से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 27 को भूमि विवादग्रस्त का तकासमा करवाने बाबत निवेदन किया जाता रहा है तथा प्रतिवादीगण द्वारा भी वादी को हमेशा ही आश्वासन दिया जाता रहा है कि वह शीघ्र ही आपसी सहमति से भूमि विवादग्रस्त का तकासमा करवा लेगें, लेकिन अब प्रतिवादीगण की नियत में बदनियति आ गयी है वह भूमि विवादग्रस्त का बिना तकासमा करवाये बिना अच्छी–अच्छी भूमियों को बेचान कर उस पर अवैध रूप से कॉलोनियों की बसावट करना चाहते है तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि प्रयोजन में काम में लेना चाहते है जिसका प्रतिवादीगण को कोई विधिक अधिकार हांसिल नहीं हैं।

दिनांक 26.11.2017 को प्रतिवादीगण अजनबी व्यक्तियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आकर भूमि विवादग्रस्त की नाप जोक करने लेंगे, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि की नापा जोक करने लेंगे, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से भूमि की नाप जोक करने का प्रयोजन पूछने पर प्रतिवादीगण उग्र हो गये तथा वादी को ऐलानियां धमकी दी कि वह भूमि विवादग्रस्त का बिना तकासमा करवाये बिना सडक से लगवा भूमि का बेचान करेंगे तथा उक्त भूमि पर अवैध कॉलोनियों की बसावट करेंगे, जिस पर वादी द्वारा प्रतिवादीगण से निवेदन किया गया कि वह भूमि विवादग्रस्त का विधिक तकासमा करवाकर बेचान करें। जिस पर प्रतिवादीगण उग्र हो गये तथा वादी के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गये तथा भूमि विवादग्रस्त का तकासमा करवाने से साफ इन्कार कर दिया गया। जिससे उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष करना लाजमी आया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

दावा बाबत तकासमा का डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/4 भाग में 1/12 भाग की अर्थात 1/48 भाग की खातेदारी का तकासमा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाकर अलग से खातेदारी कायम करवाते हुये पर्चा लगान जारी करवाने के आदेश जारी किये जावें।

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 27 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण भूमि विवादग्रस्त में अवैध कॉलोनियों की बसावट नहीं करे, ना ही प्लाटिंग करें, ना ही खड्डे खोदे, ना ही पोल गाडे, ना कोई पुख्ता व खाम निर्माण कार्य करें, ना ही हरे वृक्षों को काटे, उखाडे, ना ही सडक डाले, ना ही भूमि विवादग्रस्त को कृषि से अकृषि रूप में बिना भू–परिवर्तन करवाये बिना व्यावसायिक रूप के काम में लेवे, ना ही वादी के उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करें तथा प्रतिवादी संख्या 28 राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे, राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की फेरबदल नहीं करे तथा प्रतिवादी 29 किसी भी दस्तावेज को ना तो ग्रहण करें, ना ही तस्दीक करें। उपरोक्त सभी कार्य प्रतिवादीगण ना तो स्वयं करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन आदि के जरिये करवायें।

तहसीलदार चौमूं से न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट में ही उक्त विवादित भूमि बाबत वतर्मान रिपोर्ट ली गई तहसीलदार चौमूं से प्राप्त वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार तकासमा हेतु वादी की आरे से आवेदित भूमि में भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर का नाम खातेदार के साथ दर्ज है। इस प्रकार भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर की सहमति के बिना आवेदित भूमि का तकासमा नहीं किया जा सकता हैं। ऐसी स्थिति में वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत वाद विधि सम्मत नही होने से वादी का वाद खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी के वाद में उल्लेखित विवादित भूमि की खातेदारी भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर से प्रभावित भूमि होने से वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं। डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट जाटावाली में न्यायालय मे सुनाया गया।

(प्रियव्रत सिंह नारण)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस

1. रामकरण पुत्र श्री बोदू, जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर। वादी

बनाम

1. नानू पुत्र भैरया
2. सरबती देवी पत्नी पांचूराम
3. नारायणी देवी पत्नी गोपाल
4. हनुमान पुत्र गोपाल
5. नाथू पुत्र गोपाल
6. भंवर लाल पुत्र सेडू
7. नान्छी पत्नी बोदू
8. भोली देवी पुत्री बोदू
9. लाली देवी पुत्री बोदू
10. बिरदी देवी पुत्री बोदू
11. सुनीता देवी पुत्री बोदू
12. भंवरी देवी पुत्री बोदू
13. प्रभूदयाल पुत्र बोदू
14. शंकर लाल पुत्र बोदू
15. चेतराम पुत्र बोदू
16. कैलाश पुत्र बोदू
17. सोनी देवी पुत्री लादू
18. सन्तोष दत्तक पुत्र महादेव
19. रामेश्वर पुत्र छोटू
20. मनफुली देवी पुत्री छोटू
21. लालचन्द उर्फ लाला पुत्र रामपाल
22. जगदीश पुत्र रामपाल
23. हेमराज पुत्र रामपाल
24. राहुल पुत्र रामपाल जरिये संरक्षिका माता कैलाशी देवी पत्नी श्री रामपाल, जाति मीणा
25. मनफूली देवी पत्नि रामपाल
26. कैलाशी देवी पुत्री रामपाल
27. बाबूलाल दत्तक पुत्र रामकुंवार

समस्त जाति मीणा, निवासी ग्राम डेहरा, तहसील चौमू, जिला जयपुर।

28. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौमू, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
29. उपपंजियक चौमू, उपपंजियक कार्यालय चौमू तहसील चौमू, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौमू जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण

मुकदमा नं0 145 / 2017

दावा बाबत् तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादीगण व प्रतिवादीगण हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू प्रियव्रत सिंह चारण आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :– वादी के वाद में उल्लेखित विवादित भूमि की खातेदारी भूदान यज्ञ बोर्ड जयपुर से प्रभावित भूमि होने से वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता हैं।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 10.05.2018 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत
ओहदा उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner